

अज अदालत..... न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

कृष्णसिंह वगै०..... बनाम..... रामसिंह वगै०.....

किस्म मुकदमानं० 14/..... प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा..... सन्..... 2024.....

30.04.2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.04.2024	प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री राजकुमार तिवाड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर पत्रावली दिनांक 20.05.2024 को पेश हो।	नोटिस जारी 332-333 01/5/24
20/5/24	आज PO साहब अन्य काम में मोटिंग/ दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थित होने से तापेशी दी गई। गत आदेशों की पत्रावली में दिनांक 5/7/24 को पेश हो।	नकल लक्ष्मी 20.05.2024
5/7/24	प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. जारी होकर पत्रावली दिनांक 26/7/24 को पेश हो।	
26/7/24	आज PO साहब अन्य काम में मोटिंग/ दोरे में/बार द्वारा कार्यस्थित होने से तापेशी दी गई। गत आदेशों की पत्रावली में दिनांक 5/10/24 को पेश हो।	
10/2/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलाई गई। पुनः बार-बार आवाज दिलाई गई। बार-बार रुक-रुक आवाज दिलाने के बाद भी प्रार्थीगण के अधिवक्ता में से कोई भी उपस्थित नहीं आया अतः प्रा. पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदेशा 9 नियम 3 के तहत अदालत द्वारा अदालत परकी में रजिस्ट्रार किया जाता है। पत्रावली केवल शुक्रवार 07/2/24 से कर दो व मूल वाद के साथ संलग्न है।	सहायक कलक्टर दौसा, जिला दौसा